

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 20—मार्च 26, 2016, शनिवार/फाल्गुन 30, 1937—चैत्र 6, 1938

No. 6] NEW DELHI, MARCH 20—MARCH 26, 2016, SATURDAY/PHALGUNA 30, 1937—CHAITRA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2016

का.नि.आ. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (भर्ती और सेवा की शर्त) नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की, सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (भर्ती और सेवा की शर्त) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

- (ख) “नियंत्रण प्राधिकारी” से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय अभिप्रेत है;
- (ग) “विभागीय अभ्यर्थी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आयोग से परामर्श करने के पश्चात या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है;
- (घ) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से अनुसूची - 4 प्रत्येक पद के सामने उक्त पद पर प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है ;
- (ङ) “ज्यूटी पद” से अनुसूची -1 के स्तम्भ -4 में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ;
- (च) “परीक्षा” से सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा संचालित कोई सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है ;
- (छ) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) “श्रेणी” से अनुसूची-1 के स्तम्भ -2 में विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है ;
- (झ) किसी श्रेणी से संबंधित “नियमित सेवा” से किसी श्रेणी में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित है:-
- सेवा के प्रारम्भिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली गई अवधि;
 - ऐसी अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में ज्यूटी पद धारण किए हुए होता, यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध हुआ होता;
- (ञ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ट) “अनुसूचित जातियों” और “अनुसूचित जनजातियां” का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और खण्ड (25) में हैं।
- (ठ) “अन्य पिछड़ी जातियां” है जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित जाति और समुदाय समाविष्ट होगी ।
- (ड) “सेवा” से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा अभिप्रेत है।
3. **भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा का गठन:** – भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा के नाम से ज्ञात सेवा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों से मिलकर बनेगी।
4. **श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन:-** (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ज्यूटी पद, उनके नाम, संख्या और वेतनमान वह होंगे जो उन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) सरकार, समय –समय पर जैसा आवश्यक समझे विभिन्न श्रेणियों में ज्यूटी पदों की संख्या में वृद्धि या कटौती कर सकेगी।
- (3) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची -1 में सम्मिलित पदों से भिन्न, सेवा के ऐसे पदों को, जो प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक रूप से सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य, हो, सेना में सम्मिलित या सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।
- (4) सरकार , आयोग के परामर्श से किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उप नियम (3)

के अधीन सेवा की समुचित श्रेणी में सेवा में सम्मिलित किया गया है, अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में जैसा उचित समझें नियुक्त कर सकेगी और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत कर सकेगी।

5. **सेवा के सदस्य:-** निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् –

(क) नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त समझे गए व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति।

6. **आरंभिक गठन:-** भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा नियम, 2004 के सभी सिविलियन अधिकारी जो समूह “क” पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा नियम, 2016 में उनके आरंभिक गठन से श्रेणियों/पदों पर नियमित आधार पर तत्स्थानी पदों और श्रेणी में, यथास्थिति, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए समझें जाएंगे।

7. **सेवा का भावी अनुरक्षण:-** इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् रिक्तियां इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1, अनुसूची-2, अनुसूची-3 और अनुसूची-4 में यथा उपबंधित रीति से भरी जाएंगी।

8. **ज्येष्ठता:-** (1) नियम 6 के अधीन किसी श्रेणी में नियुक्त समझे गए सेवा के सदस्यों की साक्षेप ज्येष्ठता इन नियमों के आरम्भ की तारीख उनकी साक्षेप ज्येष्ठता से शासित होगी:

परन्तु यदि उस तारीख को किसी सदस्य की ज्येष्ठता विशिष्टतः अवधारित नहीं की गई है तो उसे सरकार के अधीन समरूप सेवा के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् किसी श्रेणी में सेवा में सम्मिलित होते हैं। नियम 6 के अधीन उस श्रेणी में नियुक्त समझे गए व्यक्तियों से पंक्ति में नीचे होंगे। सेवा में ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता जिनकी भर्ती आरम्भिक गठन के पश्चात् की जाती है, सरकार द्वारा की बाबत समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) ऊपर के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता, आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

9. **परिवीक्षा:-** (1) सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह परीक्षा के माध्यम से कनिष्ठ काल वेतनमान पर सीधी भर्ती द्वारा या सहायक इंजीनियर समूह ख पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त हुआ हो, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगा :

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी इस के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई विनिश्चित की पूर्व अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सम्बद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर लिखित में विनिश्चय को संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर अधिकारियों को, यदि नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उन्हें नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति पर रखा जाएगा और उनकी सम्यक अनुक्रम में पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि, उपनियम(1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी रखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि ऐसी परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अधिकारी ऐसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो सरकार कारणों को लेखबद्ध करके उसे, यथास्थिति, सेवान्मुक्त

या उस पद पर जिसके वह परिवीक्षा से पूर्व वह धारण किए हुए था, उस पर प्रतिवर्तित या जैसा यह उचित समझे, आदेश जारी कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान सरकार, उस अधिकारी से, परिवीक्षा अवधि को समाधानप्रद रूप में पूरा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रम पूरा करने और ऐसी परीक्षा और परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की (जिसमें हिन्दी परीक्षा सम्मिलित है) जैसा वह उपयुक्त समझे, अपेक्षा कर सकेगी।

(5) परिवीक्षा की अवधि से संबंधित अन्य मामलों की बाबत सेवा के सदस्य इस बाबत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. **सेवा का दायित्व:—**(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के दायी होगा।

(2) सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हो, भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए जिसमें प्रशिक्षण में बितायी गयी अवधि, यदि कोई है, सम्मिलित है, सेवा करने का दायी होगा, बशर्ते ऐसे व्यक्ति, से,

(क) उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात उपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, या

(ख) चालीस वर्ष की आयु होने के पश्चात साधारणतया उपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) सेवा का कोई सदस्य, जब उसे इसके लिए तैनात किया जाए, वृत्तिक पाठ्यक्रम करने का भी दायी होगा।

(4) ऐसे मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वहीं होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को लागू होती हैं।

11. **निरर्हता:—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. **सेना अधिकारी पर लागू न होने वाले नियम:—** यह नियम सेना इंजीनियर सेवा (सेवा कार्मिक) विनियम, 1989 के अनुसार सेनावृत्ति के आधार पर नियुक्त सेना अधिकारियों को लागू नहीं होंगे क्योंकि वे सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

13. **आकृत्यिक उन्नयन:**

(क) जब भी संयुक्त संवर्ग के राज्य के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को केन्द्र में वेतन बैंड 3 अथवा वेतन बैंड 4 वाले किसी विशेष ग्रेड वेतन की किसी विशेष श्रेणी में तैनात किया जाता है तो भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा के बैचो से संबंधित अधिकारी जो उनसे दो वर्ष अथवा इससे अधिक वरिष्ठ हैं तथा जिन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें भी उसी तारीख से आकृत्यिक आधार पर वह ग्रेड दिया जाएगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केन्द्र में उनकी तैनाती की तारीख से दिया गया है।

(ख) किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन में उन्नयन के लिए “बैंचमार्क” सहित सभी विहित पात्रता मापदण्ड तथा प्रोन्नति सन्नियम को उच्च वेतनमान देने के लिए जांच के समय देखा जाएगा।

(ग) इस सेवा के अधिकारियों के लिए अकृत्यिक उन्नयन से संबंधित अन्य मामले सरकार द्वारा अनुसूची 5 के अनुसार जांच समिति द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों द्वारा इस विषय में शासित होंगे।

14. **लागू होना:-**(1) ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

(2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों को, भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा के सिविलियन अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा और ये कभी भी जब तक कि सरकार लिखित में आदेश द्वारा ऐसे विनिश्चय न करें, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित नहीं किए जा सकेंगे।

15. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

16. **व्यावृत्ति:-** (1) इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2) इन नियमों के अधिसूचना से पूर्व समय-समय पर जारी किए गए स्थापन आदेशों के अधीन की गई नियुक्तियां, प्रोन्नतियां या पुष्टि आयोग के परामर्श से इन नियमों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

17. **निर्वचन:-** इन नियमों के निर्वचन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो केन्द्रीय सरकार उसका विनिश्चय करेगी।

अनुसूची-I

(नियम 2,3 और 4 देखिए)

क्रम संख्या	ड्यूटी पद और श्रेणियों का नाम	पदों की संख्या *	वेतनमान और वेतन श्रेणी वेतनमान	वेतन श्रेणी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महानिदेशक (कार्मिक) उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	01	67000 रु. से 79000 रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3%)	कोई नहीं
2.	अपर महानिदेशक उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	3	67000 रु. से 79000 रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3%)	कोई नहीं
3.	मुख्य इंजीनियर	45	वेतन बैंड -4 37400 रु. से 67000 रु.	10000 रु.
4.	अपर मुख्य इंजीनियर	00	वेतन बैंड -4 37400 रु. से 67400 रु.	8900 रु.

क्रम संख्या	ड्यूटी पद और श्रेणियों का नाम	पदों की संख्या *	वेतनमान और वेतन श्रेणी वेतनमान	वेतन श्रेणी ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	अधीक्षण इंजीनियर	281	वेतन बैंड -4 रु 37400से 67400 रु.	8700 रु.
6	कार्यपालक इंजीनियर (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	**	वेतन बैंड-3 15600 रु. से 39100 रु.	7600 रु.
7.	कार्यपालक इंजीनियर	480	वेतन बैंड -3 15600 रु. से 39100 रु.	6600 रु.
8.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (कनिष्ठ जेटीएस वेतनमान)	150	वेतन बैंड -3 15600 रु. से 39100 रु.	5400 रु.
9.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (कनिष्ठ सामयिक वेतनमान) (आरक्षित)	78	वेतन बैंड -3 15600 रु. से 39100 रु.	5400 रु.

*कार्य भार और काडर पुनर्विलोकन के आधार पर परिवर्तन जाने के अधीन

**ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (कार्यपालक इंजीनियर और उसके ऊपर) का 30 प्रतिशत निम्न शर्तों के अधीन होगा कि-

(I) काडर की संपूर्ण संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(II) आकृत्यिक द्वितीय श्रेणी (वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु.) में प्रचलित होने वाले पदों की संख्या (वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-3900 रु., ग्रेड वेतन 6600 रु.) के वेतन में उपलब्ध पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।

++आरक्षित/काडर पुनर्विलोकन के अनुसार

टिप्पण-(1).- 'ज्येष्ठतम अपर महानिदेशक (एच एजी स्तर) महानिदेशक (कार्मिक) के रूप में पदाभिहित होगा जो एम ई एस सिविलियन अधिकारियों/अधिनस्थों से संबंधित कार्मिक मामलों की देखभाल करेगा।

टिप्पण (2).- इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर अपर मुख्य इंजीनियर पदधारी इस बारे में अधिकथित मानदंड पूरा करने के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए अधीक्षण इंजीनियरों के साथ विचार किया जाएगा, जब तक पूर्वतर हो, सेवा से प्रोन्नति अधिवर्षिता पूरी नहीं करते।

अनुसूची-2

(नियम 7 देखिए)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने वाले सहायक कार्यपालक इंजीनियर समूह "क" के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा-

अभ्यर्थी,

(i) के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी विश्वविद्यालय से सिविल, यांत्रिकी या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं में ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा या ऐसी अर्हताएं जिन्हें सरकार द्वारा उपर्युक्त अर्हताओं के समतुल्य मान्यता दी गई हो, अवश्य होनी चाहिए, और

(ii) ने उस वर्ष, जिस वर्ष परीक्षा ली जाती है, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किन्तु तीस वर्ष की आयु परीक्षा वर्ष की प्रथम जनवरी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

अनुसूची-3

(नियम 7 देखिए)

भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा (समूह क) की विभिन्न श्रेणियों में ज्युटी पदों पर नियुक्ति के लिए अगली निम्न श्रेणी या पोषक श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और शैक्षिक अर्हता

क्रम संख्या	ड्यूटी पद और श्रेणियों का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान और वेतन श्रेणी वेतनमान	वेतन श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महानिदेशक	-	-	ज्येष्ठतम भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा का अपर महानिदेशक, जिसके लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की आवश्यकता नहीं है
2.	अपर महानिदेशक	प्रोन्नति द्वारा	चयन	(क)- 37400 रु. -67000, ग्रेड वे 10000 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य इंजीनियर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है। अथवा ऐसा मुख्य इंजीनियर जिसका भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा समूह 'क' में कुल नियमित सेवा 25 वर्ष की हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष नियमित वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एस ए.जी) सेवा श्रेणी की हो (ख) अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो; और (ग) दो सप्ताह का मानव संसाधन प्रबन्धन का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किया हो।
3.	मुख्य इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	चयन	(क) ऐसा भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा समूह "अ" का इंजीनियर जिसकी श्रेणी वेतन 8900 और 8700 में कुल नियमित सेवा 03 वर्ष की हो या समूह 'अ' में कुल सेवा 17 वर्ष की हो और जिसमें कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड वेतन

क्रम संख्या	ड्यूटी पद और श्रेणियों का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान और वेतन श्रेणी वेतनमान	वेतन श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				8700 में हो (ख) अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो (ग) दो सप्ताह का उच्च प्रबन्धन अथवा मुख्य इंजीनियर अभिविन्यास पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक किया हो।
4.	अधीक्षक इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	चयन	(क) ऐसा कार्यपालक इंजीनियर जिसने नौ वर्ष नियमित सेवा-सम-तुल्य कार्यपालक इंजीनियर जिसमें नियमित सेवा सहित, यदि कोई हो, कार्यपालक इंजीनियर (15600-39100 और ग्रेड वेतन 7600 रु. वेतन बैंड-3) के पद के लिए अकृत्यिक द्वितीय श्रेणी में की श्रेणियों में की हो। अथवा ऐसा अधिकारी जिसने तेरह वर्ष भारतीय इंजीनियर रक्षा समूह "क" में नियमित सेवा की हो और साथ ही कम से कम 4 वर्ष अकृत्य चयन श्रेणी कार्य पालक इंजीनियर (ग्रेड वे 7600 रु.) की श्रेणी में नियमित सेवा की हो (ख) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता रखता हो (ग) लगभग दो सप्ताह का उच्च प्रबन्धन का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक किया हो।
5.	कार्यपालक इंजीनियर अकृत्यिक चयन श्रेणी		अचयन	ऐसा कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थापन आधार पर नियुक्ति होगी और ज्येष्ठता मापदंड अनुपयुक्तता पर नामजुरी के अध्यधीन होगी।
6.	कार्यपालक इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	चयन (i) 55 % पद सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में से अचयन के आधार पर भरे जाएंगे।	(क) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने इस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल, यान्त्रिक या विद्युत इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य (ख) दस सप्ताह का युवा अधिकारी मूल कार्य पाठ्यक्रम का आरंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो। (ग) ऐसा सहायक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल

क्रम संख्या	ड्यूटी पद और श्रेणियों का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान और वेतन श्रेणी वेतनमान	वेतन श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(ii) 45 % पद सहायक इंजीनियर की श्रेणी में से चयन के आधार पर भरे जाएँगे	,यान्त्रिक या विद्युत इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य है। अथवा (क) ऐसा सहायक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल, यान्त्रिक या विद्युत इंजीनियरी डिप्लोमा या समतुल्य है। (ख) विभागीय प्रोन्नति सहायक इंजीनियर द्वारा तीन से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण किया हो
7.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सीधी भर्ती	पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएँगे।

टिप्पणी: (1) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण (2)- का नि आ-95,2004 के विद्यमान सेवा नियम में उनके लिए विहित कोटा के 66 2/3 प्रतिशत के अनुसार, इस सेवा नियम के प्रकाशन की तारीख को सहायक कार्यपालक इंजीनियर के सभी पदधारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

अनुसूची 4

(नियम 2 (घ) और नियम 7 देखिए)

भारतीय इंजीनियर रक्षा सेवा में समूह “क” पदों की प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर दो विचार करने के लिए समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।

क्रम सं.	पद का नाम	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अपर महानिदेशक	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष	लागू नहीं होता

		(ii) सचिव, रक्षा मंत्रालय- सदस्य (iii) प्रमुख इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर समेकित मुख्यालय शाखा- सदस्य (iv) महानिदेशक (कार्मिक) प्रमुख इंजीनियर शाखा - सदस्य	
2.	मुख्य इंजीनियर	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, रक्षा मंत्रालय-सदस्य (iii) प्रमुख इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर समेकित मुख्यालय शाखा-सदस्य (iv) महानिदेशक (कार्मिक), मुख्य इंजीनियर शाखा- सदस्य	लागू नहीं होता
3.	अधीक्षण इंजीनियर	(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, रक्षा मंत्रालय- सदस्य (iii) महानिदेशक (कार्मिक) मुख्य इंजीनियर शाखा - सदस्य	लागू नहीं होता
4.	कार्यपालक इंजीनियर (कृत्यिक)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर से प्रोन्नति के लिए (i) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर शाखा-सदस्य (iii) निदेशक /उप सचिव, रक्षा मंत्रालय-सदस्य सहायक इंजीनियर से प्रोन्नति के लिए (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय-सदस्य (3) महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर शाखा-सदस्य	(क) सहायक कार्यपालक इंजीनियर से प्रोन्नति की बाबत लागू नहीं होता। (ख) सहायक इंजीनियर से प्रोन्नति द्वारा भर्ती व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए 1) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय-अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर शाखा-सदस्य (3) उप सचिव रक्षा मंत्रालय -सदस्य
5.	कार्यपालक इंजीनियर (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	(1) संयुक्त सचिव/रक्षा मंत्रालय-अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर शाखा- सदस्य (3) निदेशक /उप सचिव, रक्षा मंत्रालय-सदस्य	लागू नहीं होता।

6.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (1) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय-अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक), प्रमुख इंजीनियर शाखा-सदस्य (3) उप सचिव रक्षा मंत्रालय-सदस्य
----	--------------------------	----------------	--

अनुसूची 5

(नियम 13 देखिए)

4. अकृत्यिक ग्रेड वेतन उन्नयन की पात्रता की जांच के लिए बनाई छान बीन समिति के घटक:-

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतन	छान बीन समिति के घटक
1	अपर महानिदेशक	67000 रु.- 79000 रु. वार्षिक वेतन वृद्धि-3 %	(i) रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) सचिव ई.एस.डब्ल्यू रक्षामंत्रालय- सदस्य (iii) सचिव रक्षा उत्पादन विभाग- सदस्य
2	मुख्य इंजीनियर	37400 रु. 67000 रु. वेतन बैंड-10000/ वार्षिक वेतन वृद्धि-3 %	(i) रक्षा मंत्रालय सचिव रक्षा मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) अतिरिक्त सचिव रक्षा मंत्रालय-सदस्य (iii) महानिदेशक (कार्मिक) प्रमुख इंजीनियर शाखा-सदस्य
3.	(i) अधीक्षण इंजीनियर	वेतन बैंड-4 .37400 रु.- 67000 रु. ग्रेड वेतन-8700 रु.	(i) सचिव रक्षा मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव (ठेका और कार्य) रक्षा मंत्रालय - सदस्य (ii) अपर महानिदेशक (कार्मिक) प्रमुख इंजीनियर शाखा- सदस्य
	(ii) कार्यपालक इंजीनियर (आकृत्यिक श्रेणी)	वेतन बैंड-3 15600 रु.-39100 रु. ग्रेड वेतन -7600 रु.	
4	कार्यपालक इंजीनियर	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. ग्रेड वेतन -6600 रु.	(i) सचिव रक्षा मंत्रालय- अध्यक्ष (ii) उप सचिव रक्षा मंत्रालय- सदस्य (iii) उप महानिदेशक प्रमुख, इंजीनियर शाखा-सदस्य

[फा. सं. पी.सी. 8/85604/संशोधन आर आर/भां.र.इं.सेवा/सीएससीसी/29/र.(नि.)/2016]

अनिल कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th March, 2016

S.R.O. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of Indian Defence Service of Engineers (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Indian Defence Service of Engineers in Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Indian Defence Service of Engineers (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires;-

(a) “Commission” means the Union Public Service Commission;

(b) “Controlling Authority” means the Government of India in the Ministry of Defence;

(c) “Departmental Candidate” means a person who has been appointed on regular basis after consultation with the Commission or on the recommendations of Departmental Promotion Committee.

(d) “Departmental Promotion Committee” means a Committee specified against each post in Schedule IV to consider promotion or confirmation in the said post;

(e) “duty post” means any post specified in column (2) of Schedule I;

(f) “Examination” means a Combined Competitive Examination conducted by the Commission for recruitment to various Engineering Services or posts as may be notified by the Government from time to time;

(g) “Government” means the Government of India;

(h) “Grade” means a grade of service specified in column (2) of Schedule I annexed to these rules;

(i) “regular service” in relation to any grade means the period of service in the grade rendered after selection according to procedure laid down by the Government for long-term appointment to that grade and includes any period or periods :-

(i) taken in to account for purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(j) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;

(k) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the meanings respectively assigned to them under clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution;

(l) “Other Backward Classes” shall comprise the caste and communities notified by the Government from time to time.

(m) “service” means the INDIAN DEFENCE SERVICE OF ENGINEERS constituted under rule 3.

3. **Constitution of Indian Defence Service of Engineers.**— The service known as the Indian Defence Service of Engineers shall consist of posts specified in Schedule I.

4. **Grades, authorised strength and it’s review.**— (1) The duty posts included in various grades of the service, their names, numbers and scales of pay shall be as specified in Schedule I.

(2) The Government may make temporary additions to or reductions from the strength of the duty posts in various grades as it may deem necessary from time to time.

(3) The Government, in consultation with the Commission, include in or exclude from the service such posts as may be deemed to be equivalent to the posts included in the service, in status, grade, scale of pay and professional content, other than those included in Schedule I.

(4) The Government may, in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (3) to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as it may deem fit and fix his seniority in the grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time in this regard.

5. **Members of the service.** The following persons shall be members of the service, namely :-

(a) Persons deemed to have been appointed to service under rule 6; and

(b) Persons appointed to the service under rule 7.

6. **Initial Constitution.** All the civilian officers in the Indian Defence Service of Engineers Rules, 2004 holding Group 'A' posts on regular basis, shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts and grades in the service in the substantive or officiating capacity, as the case may be, from the date of their initial appointment to the grades/ posts on regular basis, in the Indian Defence Service of Engineer Rules, 2016.

7. **Future Maintenance of the Service.-** After commencement of these rules, the vacancies shall be filled in the manner as provided in Schedules I, II, III and IV, annexed to these rules.

8. **Seniority.-** (1) The relative seniority of members of the service deemed to have been appointed to any grade under rule 6, shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of a member has not been specifically determined on the said date, the same shall be determined by the Government in accordance with the rules applicable to members of similar service under the Government.

(2) Officers who join the service in any grade after the commencement of these rules, shall rank below those deemed to have been appointed to the service in that grade under rule 6. The seniority of persons recruited to the service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Seniority of officers not covered by the above provisions, shall be determined by the Government in consultation with the commission.

9. **Probation.-** (1) Every officer on appointment to the service either by direct recruitment to the Junior Time Scale through the examination or by promotion from Group 'B' posts of Assistant Engineer shall be on a probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard :

Provided further that any decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and the decision in writing shall be communicated to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation, officers shall, if considered fit for regular appointment, retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course.

(3) If, during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for retention or if, at any time during such period of probation, or extension thereof, the Government is satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation, or extension thereof, the Government may for reasons to be recorded in writing, discharge him from the service or revert him to the post which he has been holding before his promotion, as the case may be, or pass such orders as it may deem fit.

(4) During the period of probation, the officer may be required by the Government to undergo such courses of training instructions and to pass such examination and tests (including an Examination in Hindi) as it may deem fit for the purpose of satisfactory completion of period of probation.

(5) As regards other matters relating the period of probation, the members of the service shall be governed by instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard.

10. **Liability for service.-** (1) The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India outside.

(2) Any person appointed to the service, if so required, be liable to serve in connection with the Defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any, provided that such person -

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of his appointment; or

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(3) A member of the service shall also be liable to undergo professional courses as and when he is deputed for that.

(4) The conditions of the service of the members of the service in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable to the officers of the Central Civil Services from time to time.

11. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the posts specified in Schedule I:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. **Rules not apply to Army Officers.-** These rules shall not apply to the Army Officers appointed on tenure basis in accordance with provisions of the Military Engineer Services (Army Personnel) Regulations, 1989, as they shall be governed by the Army Act, 1950 (46 of 1950) and the rules framed there under.

13. **Non Functional Upgradations:**

(a) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State of Joint Cadre is posted at the centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3, pay Band 4 or Higher Administrative Grade, the officers belong to batches of Indian Defence Service Engineers that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(b) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including “benchmark” for upgradation to a particular grade pay shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher pay scale.

(c) The other matters related to non-functional upgradation to the members of the service shall be governed by the orders in accordance with or instructions issued by the Central Government in this behalf for time to time and by the Screening Committee as provided in Schedule-V.

14. **Application.-** (1) These rules shall apply to the posts as specified in column (2) of the Schedule-I.

(2) The posts specified in Schedule-I are to be manned by Civilian Officers of Indian Defence Service of Engineers and at no time can be held by another person unless Government so decides by specific orders in writing.

15. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. **Saving.-** (1) Nothing in these rules shall effect reservations relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

(2) All appointments, promotions or confirmations, made in consultation with the Commission, under Establishment orders issued from time to time before notification of these rules shall be deemed to have been made under these rules.

17. **Interpretation.** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE – I

(See rules 2, 3 and 4)

Sl. No.	Name of the duty post and grades	*Number of Posts	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	
			Pay Band/ Pay Scale	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Director General (Personnel), Higher Administrative Grade (HAG)	01	Rs. 67000 – Rs 79000 (increment @ 3% per annum)	NA
2.	Additional Director General Higher Administrative Grade (HAG)	03	Rs. 67000 – Rs 79000 (increment @ 3% per annum)	NA
3.	Chief Engineer, Senior Administrative Grade (SAG)	45	Pay Band-4 Rs. 37,400 – 67,000	Rs. 10,000
4.	Additional Chief Engineer	00	Pay Band-4 Rs. 37,400 – 67,000	Rs. 8,900
5.	Superintending Engineer, Junior Administrative Grade (JAG)	281	Pay Band-4 Rs. 37,400 – 67,000	Rs. 8,700
6.	Executive Engineer, Non-functional Second Grade (NFSG)	**	Pay Band-3 Rs. 15,600 – 39,100	Rs. 7,600
7.	Executive Engineer	480	Pay Band-3 Rs.15,600 – 39,100	Rs. 6,600
8.	Assistant Executive Engineer, Junior Time Scale(JTS)	150	Pay Band-3 Rs. 15,600 – 39,100	Rs. 5,400
9.	Assistant Executive Engineer, Junior Time Scale (JTS) (Reserve)	78	Pay Band-3 Rs. 15,600 – 39,100	Rs. 5,400

*Subject to variation dependent on work load and cadre reviews.

**30% of the Senior Duty Posts (Executive Engineer and above), subject to the conditions, that :-

(i) There is no increase in overall strength of the cadre.

- (ii) The number of posts to be operated in non-functional second grade Executive Engineer (NFSG), (PB-3, Rs. 15600 – 39100, Grade Pay Rs. 7600) does not exceed the total number of posts available in Executive Engineer (PB-3, Rs. 15600-39100, Grade Pay of Rs. 6600/-).

Reserve. As per cadre review.

Note 1. Senior most Additional Director General of Indian Defence Service Engineer Cadre will be Director General (Personnel) to look after all personnel matters relating to MES Civilian Officers/Sub-ordinates.

Note 2. The existing incumbents of Additional Chief Engineer on the date of commencement of these rules shall be considered alongwith **Superintending Engineers** for promotion subject to fulfilment of laid down criteria in this regard, till they are promoted or superannuated from service whichever is earlier.

SCHEDULE II

(See rule 7)

Minimum educational qualification and age limits for direct recruits to the post of Assistant Executive Engineer Group 'A' to be filled on the results of the Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate must have :

- (i) a degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or a degree or diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognized by the Government from time to time or possessing, qualifications which have been recognized by the Government as equivalent to above qualifications; and
- (ii) attained the age of twenty one years but must not have attained the age of thirty years on the first day of January of the year in which the examination is held.

SCHEDULE – III

(See rule 7)

Method of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service and educational qualification in the next lower grade of feeder grade for promotion to duty posts in the various grades of the Indian Defence Service of Engineer (Group 'A').

Sl. No.	Name of the duty post and grades	Method of recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of selection, minimum qualifying service and Educational qualification for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director General (Personnel)	-	-	Senior most Indian Defence Service Engineer officer amongst Additional Director General posts. No DPC/ Screening Committee required.
2.	Additional Director General	By Promotion	Selection	(a) Three years regular service in the Senior Administrative Grade (SAG) (Chief Engineer) OR A total of 25 years of regular service in Group 'A' [out of which minimum one year of regular service may be in the grade of Senior Administrative Grade (SAG)]; (b) Possessing qualification as specified in Schedule II; and (c) Having successfully completed two weeks of mandatory training on Human Resources (HR) Management.
3.	Chief Engineer	By Promotion	Selection	(a) Combined three years regular service in the grade pay of Rs. 8900 plus Rs. 8700 OR 17 years of regular service in Group 'A' of the Service, out of which at least one year of the regular service should be in the Grade Pay

				of Rs. 8700. (b) possessing qualification as specified in Schedule-II. (c) Successfully completed course on Higher Management or Chief Engineer (CE) orientation course of around two weeks duration.
4.	Superintending Engineer	By Promotion	Selection	(a) Officers with nine years of regular service in the grade of Executive Engineer equivalent, including regular service, if any, rendered in the non-functional second grade for the Executive Engineer, (Pay Band-3, Grade pay Rs. 7,600). OR Officers with thirteen years of regular service in Group 'A' and regular service of four years in the grade of Executive Engineer and equivalent including the service rendered in the non-functional second grade (Grade Pay 7600). (b) possessing qualification as specified in Schedule-II. (c) Successfully completed course on "Senior Management" of around two weeks duration.
5.	Executive Engineer (NFSG)	By Promotion		Executive Engineer with five years regular service in the grade will be appointed on placement basis by seniority, subject to rejection of the unsuitable.
6.	Executive Engineer	By Promotion	(i) 55% of the posts to be filled on selection basis from the grade of Assistant Executive Engineer. (ii) 45% of the posts to be filled on selection basis from the grade of Assistant Engineer	(a) Assistant Executive Engineer with four years regular service in the grade with degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering from a recognized University/Institution. (b) Training as "Young Officer's Basic Works Course for MES officers as induction training" of forty weeks duration. (c) Assistant Engineer with seven years regular service in the grade and possessing degree in Civil, Mechanical or Electrical Engineering from a recognized university or institution. OR (a) Assistant Engineer with nine years regular service in the grade and possessing Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineer from a recognized University or Institution. (b) Training as "Orientation Course for departmental promotee officers" of three to four weeks duration at Assistant Engineer level.
7.	Assistant Executive Engineer	By direct recruitment through Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission	-	The posts shall be filled by direct recruitment through combined Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission.

Note 1 :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2:- The promotion of all existing incumbents Assistant Executive Engineer on the date of publication of this service rules shall be considered as per 66 2/3% of quota prescribed for them in the existing service rules of SRO-95, 2004.

SCHEDULE IV

(See Rule 2(d) and 7)

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation Group 'A' posts in the Indian Defence Service of Engineer.

Sl. No.	Name of the Post	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee For considering promotion	Composition Of Group 'A' Departmental Confirmation Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Additional Director General	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission- Chairman (ii) Secretary, Ministry of Defence- Member (iii) Engineer-in-Chief in the Integrated Headquarters, Ministry of Defence- Member (iv) Director General (Personnel) in the Engineer-in-Chief's Branch- Member	Not applicable
2.	Chief Engineer	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission- Chairman (ii) Secretary, Ministry of Defence- Member (iii) Engineer-in-Chief in the Integrated Headquarters, Ministry of Defence- Member (iv) Director General (Personnel) in the Engineer-in-Chief's Branch- Member	Not applicable
3.	Superintending Engineer	(i) Chairman/Member of Union Public Service Commission- Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence- Member (iii) Director General (Personnel) in the Engineer-in-Chief's Branch Member	Not applicable
4.	Executive Engineer (Non-Functional)	For promotion from Assistant Executive Engineer (i) Joint Secretary, Ministry of Defence- Chairman (ii) Joint Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch- Member (iii) Director/ Deputy Secretary, Ministry of Defence- Member For promotion from Assistant Engineer (i) Chairman/Member of Union Public Service Commission- Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence- Member (iii) Director General (Personnel) in the Engineer-in-Chief's Branch- Member	(a) Not applicable in respect of promotion from Assistant Executive Engineer (b) For considering confirmation of promotee recruited from Assistant Engineer (i) Joint Secretary, Ministry of Defence- Chairman (ii) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch- Member (iii) Director/ Deputy Secretary, Ministry of Defence- Member

5.	Executive Engineer (Non-functional)	(i) Joint Secretary, Ministry of Defence - Chairman (ii) Joint Director General (Personnel)/Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch- Member (iii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Defence Member	Not applicable
6.	Assistant Executive Engineer	Not applicable	For considering confirmation : (a) Joint Secretary, Ministry of Defence- Chairman (b) Deputy Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch- Member (c) Deputy Secretary/ Director, Ministry of Defence- Member

SCHEDULE-V**(See rule 13)**

Composition of the screening committee for considering the cases of non-functional up-gradation.

Sl No.	Name of the duty post	Scale	Screening Committee Composition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Additional Director General	Rs. 67000 – Rs 79000 (annual increment @ 3% per annum)	(i) Defence Secretary, Ministry of Defence - Chairman (ii) Secretary, ESW, Ministry of Defence - Member (iii) Secretary, Department Defence Production, Ministry of Defence- Member
2.	Chief Engineer	Rs. 37,400 – 67,000, Grade Pay Rs. 10,000/- (annual increment @ 3% per annum)	(i) Defence Secretary, Ministry of Defence - Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence- Member (iii) Director General (Personnel)/ ADG (HAG grade), Engineer-in-Chief's Branch- Member
3.	Superintending Engineer Executive Engineer (NFSG)	Pay Band-4 Rs. 37,400 – 67,000, Grade Pay Rs 8700/- Pay Band-3 Rs. 15600-39100, grade pay Rs. 7600/-	(i) Secretary, Ministry of Defence- Chairman- Chairman (ii) Joint Secretary (C&W), Ministry of Defence- Member (iii) Additional Director General (Personnel), Engineer-in-Chief's Branch- Member
4.	Executive Engineer	Pay Band-3 Rs. 15600-39100, Grade Pay Rs. 6600/-	(i) Secretary (C&W), Ministry of Defence- Chairman (ii) Deputy Secretary/Director (Works), Ministry of Defence- Member (iii) Deputy Director General, Engineer-in-Chief's Branch- Member

[F. No. PC-8/85604/Amdt RR/IDSE/CSCC/29/D(Apptts)/2016]

ANIL KUMAR, Dy. Secy.